ज़कात का हुक्म
और
उसके मसायल

क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में

इसमें ज़कात का मतलब उसकी फ़ज़ीलत, अहमियत, वाजिब होने की शर्तें, ज़कात अदा करने के मसायल उसका निसाब, सोने चाँदी, जानवरो व पैदावार, सिक्के, नोट, माले तिजारत और ज़ेवरात वग़ैरह का तफ़्सील से ज़िक्र करने के बाद ज़कात के अदा होने का ज़िक्र करते हुए कुछ मसायल भी बताये गये हैं।

मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फ़ारुक़ी नदवी
उस्ताद, दारुलउलूम, नदवतुल उ़ल्मा, लखनऊ

जमअ़ीयत पयामे अम्न,
नदवा रोड, डालीगंज, लखनऊ, (यू०पी०)

© सर्वाधिकार सुरक्षित

नाम-	ज़कात का हुक्म और उसके मसायल
लेखक-	मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी
संस्करण हिन्दी-	तृतीय
पुस्तक संख्या-	2000
वर्ष	2013
मूल्य	40 रू.
प्रकाशक-	जमअ़ीयत पयामे अम्न, नदवा रोड, डालीगंज, लखनऊ।

Book Name	Zakat Ka Huqm Aur Uske Masail
Writer	Mufti Mohd-Sarwar Farooqui Nadwi
S. No.	2000
Publisher.	Jamiat Payam-e-Amn, Nadwa Road, Daliganj, Lucknow, U.P. (INDIA)
Website:	www.islamicjpamn.com
Mobile–	0091– 9919042879, 9984490150
E- Mail–	maktaba.pyameamnlko@gmail.com siddiquilko@yahoo.com

मिलने के पते

1. जामिया दारे अरक़म मुहम्मदपुर गौंती, फ़तेहपुर
2. न्यू सिल्वर बुक एजेन्सी, 14, मोहम्मद अली रोड, भिण्डी बाज़ार, मुम्बई-400003
3. सेन्ट्रल बुक डिपो, इब्राहीमपुरा भोपाल।
4. मकतबः नदविया, नदवा (लखनऊ)
5. मकतबः अल् फ़ुरक़ान, नज़ीराबाद (लखनऊ)
6. मकतबः हरमैन, मरकज़, लखनऊ

विषय सूची

विषय	पृष्ठ सं०
सन्देश	
प्रस्तावना	
ज़कात की फ़ज़ीलत	1
ज़कात की अहमियत	2
ज़कात वाजिब होने की शर्तें	7
ज़कात के सही होने की शर्तें	9
ज़कात वाजिब होने के मसायल	10
ज़कात अदा करने के मसायल	12
ज़कात का निसाब	16
सोने व चाँदी का निसाब	16
निसाब का ख़ुलासा	16
जानवरों की ज़कात	18
बकरियों का निसाब	18
गाय का निसाब	18
ऊँटों का निसाब	19
उ़श्र यानी पैदावार की ज़कात	19
ज़कात अदा करने का तरीक़ा	19
सिक्कों और नोटो की ज़कात	21
अमवाले तिजारत की ज़कात	21
ज़ेवर की ज़कात	22
ज़कात की मिक़दार	23
वह चीज़ें जिन पर ज़कात नहीं है	24
ज़कात किसे दी जाए	26
ज़कात के आठ मसारिफ़	27
मसारिफ़े ज़कात के मसायल	30
वह लोग जिन को ज़कात देना जायज़ नही	31
ज़कात के कुछ अहम मसायल	33

प्रस्तावना

इस्लाम के बुनियादी अरकान में से ज़कात भी एक लाज़िमी हुक्म है, जिसका ज़िक्र बहुत सी आयतों में किया गया है जिसमें ज़कात देने का हुक्म और उसके अदा करने का सवाब और उसके न देने का अ़ज़ाब मौजूद है और बहुत सी आयतें ऐसी हैं जिसमें नमाज़ के साथ ज़कात का भी हुक्म है। जैसे- ह़ज़रत अबू दर्दा (रज़ि०) रसूलुल्लाह (सल्ल०) से रिवायत करते हैं कि ज़कात इस्लाम का पुल है या बुलन्द इमारत है, अगर ज़कात न दे, तो इस्लाम पर चल नहीं सकता या इस्लाम के नीचे के दर्जे में रहा। **(तबरानी)**

ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि०) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से सुना कि जो शख़्स अल्लाह और रसूल पर ईमान रखता हो तो उसे चाहिए कि अपने माल की ज़कात अदा करे। **(तबरानी)**

ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया कि कोई शख़्स सोने का रखने वाला और चाँदी का रखने वाला ऐसा नहीं कि जो उसका ह़क़ यानी ज़कात न देता हो मगर उसका यह ह़ाल होगा कि जब क़ियामत का दिन होगा, उस शख़्स के अ़ज़ाब के लिए उस के सोने चाँदी की तख़्तियाँ बनाई जाएँगी फिर उन तख़्तियों को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा फिर उनसे उसके पहलू और पेशानी और पीठ को दाग दिया जाएगा। जब वह तख़्तियाँ ठंडी होने लगेंगी तो दोबारा उनको तपा लिया जाएगा और यह उस दिन होगा जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार बरस की होगी यानी क़ियामत का दिन।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

ह़ज़रत अ़म्माद बिन ह़ज़्म से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया ***"लाइलाहा इल्लल्लाहु मुह़म्मदुर्रसूलुल्लाह"*** पर ईमान लाने के बाद अल्लाह तआ़ला ने इस्लाम में चार चीज़ें और फ़र्ज़ की हैं, जो शख़्स उन में से सिर्फ़ तीन को अदा करे तो वह उसको पूरा काम न देंगे जब तक सबको अदा न करे-नमाज़, ज़कात और रमज़ान के रोज़े और बैतुल्लाह का ह़ज। **(अह़मद)**

इससे मालूम हुआ कि अगर नमाज़, रोज़ः, ह़ज करता हो मगर ज़कात न देता हो तो वह सब उसकी निजात के लिए काफ़ी नहीं। इसी तरह़ फ़रमाया-

ह़ज़रत उ़मर (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया कि जब कोई माल ख़ुश्की में या दरिया में ज़ाए हो जाता है तो वह ज़कात न देने की वजह से होता है। **(तबरानी)**

अगर ज़कात देने के बावजूद माल ज़ाए हो जाए तो वह ह़क़ीक़त में ज़ाये नहीं होता क्योंकि उसका बदला आख़िरत में मिलेगा और ज़कात न देने से जो माल ज़ाए हुआ वह सज़ा है उस पर अज्र का वादा नहीं।

इस तरह़ ऊपर की ह़दीसों और क़ुर्आन की आयात को सामने रखते हुए इस बात की ज़रूरत मह़सूस हुई कि आज मुस्लिम नवजवान अक्सर हिन्दी ज़बान से वाक़िफ़ होते हैं और उनके सामने इस तरह़ की कोई किताब हिन्दी में मौजूद नहीं है जिस से वह ज़कात का हुक्म और उसके मसायल से अच्छी तरह़ वाक़िफ़ हो सकें इसलिए इस किताब में ज़कात का मतलब उसकी फ़ज़ीलत, अहमियत, वाजिब होने की शर्तें, ज़कात अदा करने के मसायल, उसका निसाब, सोने चाँदी, जानवरों व पैदावार, सिक्के, नोट, माले तिजारत और ज़ेवरात वग़ैरह की ज़कात के बारे में ज़िक्र करते हुए ज़कात के मसारिफ़ यानी ज़कात के ह़क़दार को तफ़्सील से ज़िक्र किया गया है।

अल्लाह पाक इसे क़ुबूल फ़रमाकर पूरी उम्मत को इस फ़रीज़े पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए।

मुह़म्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी
दारुल उलूम नदवतुल उल्मा लखनऊ
२-१-२००६

ज़कात का अर्थ

ज़कात के शब्दिक अर्थ होते हैं "बढ़ने" और "पाक होने के" शरीअ़त में ज़कात उस माल को कहते हैं जिसे इन्सान अल्लाह के दिये हुए माल में से उस के हक़दारों के लिए निकालता है, जिस से इन्सान का माल पाक भी होता है और मिक़्दार में बढ़ता भी है।

ज़कात की फ़ज़ीलत

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ
وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

(सूरः तौबः आयत नं० १०४)

दूसरी जगह अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है-

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

(सूरः हज आयत नं ४१)

ज़कात का निज़ाम हक़ीक़त में पूरे इस्लामी समाज को बुख़्ल, तंगदिली, ख़ुदगर्ज़ी, बुग्ज़, हसद, शक, जैसे-जज़्बात से पाक करके उस में मुहब्बत, ईसार, एहसान, ख़ुलूस, ख़ैरख़्वाही, तआ़वुन के पाकीज़ा जज़्बात पैदा करता और परवान चढ़ाता है, यही वजह है कि ज़कात हमेशा हर नबी की इमामत में फ़र्ज़ रहती है, उस की मिक़्दार, निसाब और फ़िक्ही अहकाम में ज़रूर फ़र्क़ रहा है, लेकिन ज़कात का हुक्म बहरहाल हर शरीअ़त में मौजूद रहा है।

ज़कात की अहमियत

इस्लाम में ज़कात की ग़ैर मामूली अज़मत व अहमियत का अन्दाज़ा इस से किया जा सकता है कि क़ुर्आन पाक में कम अज़ कम बत्तीस मक़ामात पर नमाज़ और ज़कात का एक साथ ज़िक्र किया गया है, और ईमान के बाद पहला मुताल्बा नमाज़ और ज़कात ही का है। यानी जिस तरह नमाज़ फ़रमाबरदारी का सर चश्मा है, उसी तरह ज़कात उसी फ़रमाबरदारी का नमूना है।

अगर नमाज़ से फ़रमाबरदारी के दायरे में आते हैं तो पहली शर्त होगी कि माल को अमानत समझें, जिस को उसी की राह में लुटा दे। हक़ीक़त में इन इबादतों के ज़रिए पूरे दीन पर होना है, जो बन्दा ख़ुदा के हुज़ूर में मस्जिद में बन्दग़ी के इन्तिहाई गहरे जज़्बात के साथ अपने जिस्म व रूह को ख़ुदा के हुज़ूर डाल दे, तो उस वक़्त उस के पास ख़ुदा के हुज़ूर में पेश करने के लिए ऐसे इन्सानियत के कामों का ऐसा नज़राना हो जिस की वह ख़ुदा से इस्तिक़ामत माँगे। अगर इस तरह नहीं है तो इस्तिक़ामत आख़िर वह किस चीज़ की माँग रहा है।

इसी तरह जो शख़्स अपना महबूब माल व मताअ़ ख़ुदा की रज़ा के लिए ख़ुदा की राह में ख़ुशी-ख़ुशी लुटा कर सुकून व इत्मिनान महसूस करे तो वह बन्दों के दूसरे हुक़ूक़ भी बख़ूबी अदा कर सकता है। इस्लाम हक़ीक़त में ख़ुदा और बन्दों के हुक़ूक़ ही से बना है, इसीलिए क़ुर्आन ने नमाज़ और ज़कात को इस्लाम की पहचान और दायरे इस्लाम में दाख़िल होने की शहादत क़रार दिया है।

सूरः तौबः में अल्लाह तआ़ला ने मुश्रिकीन से बरात और बेज़ारी का इज़हार फ़रमाने के बाद मुसलमानों को यह हिदायत भी दी है कि अगर यह कुफ़्र व शिर्क से तौबः करके नमाज़ और ज़कात पर अ़मल करें, तो यह तुम्हारे दीनी भाई हैं और इस्लामी सोसाईटी में उन का वही मक़ाम है जो दूसरे मुसलमानों का है।

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِي الدِّينِ وَ

"फिर अगर यह (कुफ़्र व शिर्क से) तौबः कर लें और नमाज़ क़ायम करें और ज़कात दें तो यह तुम्हारे दीनी भाई हैं।

यह आयत बताती है कि नमाज़ और ज़कात ईमान व इस्लाम की वाज़ेह अ़लामत और शहादत है, इसी लिए क़ुर्आन ने ज़कात न देना मुश्रिकों का अ़मल क़रार दिया है और ऐसे लोगों को आख़िरत का मुन्किर और ईमान से महरूम बताया है।

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है–

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

अनुवाद–

"और तबाही हो उन मुश्रिकों के लिए जो ज़कात नहीं देते और यही लोग हैं जो आख़िरत के मुन्किर हैं।"

ख़लीफ़ा ह़ज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) के दौर-ए-ख़िलाफ़त में जब कुछ लोगों ने ज़कात देने से इंकार किया, तो आप (रज़ि०) ने उन को इस्लाम से ख़ुरूज और इरतिदाद के हम माने समझा और एलान फ़रमाया कि–

"यह लोग दौरे रिसालत में जो ज़कात देते थे, अगर उस में से बकरी का एक बच्चा भी रोकेंगे तो मैं उन के ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा।"

ह़ज़रत उ़मर (रज़ि०) ने सिद्दीक़-ए-अकबर (रज़ि०) को टोका और फ़रमायाः –

"आप (रज़ि०) उन लोगों से भला क्यों जिहाद कर सकते हैं, जो कलिमा के क़ायल हैं, ह़ालाँकि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) का इर्शाद हैः–

जो शख़्स *'लाइलाह इल्लल्लाह'* कह दे, तो उस का जान व माल मेरी तरफ़ से मह़फ़ूज़ व मामून हो गया।

ह़ज़रत सिद्दीक़-ए-अकबर (रज़ि०) ने यह सुन कर अपने अ़ज़्म का इज़्हार इन शब्दों में फ़रमायाः–

والله لأقاتلن من فرق بين الصلوة والزكوة (بخاري، مسلم)

अनुवाद–

"ख़ुदा की क़सम! जो लोग नमाज़ और ज़कात में तफ़रीक़ करेंगे मैं उन के ख़िलाफ़ ज़रूर जंग करूँगा"।

नमाज़ और ज़कात दीन के दो बुनियादी रुक्न हैं, उन का इज़्हार या उन में तफ़रीक़ करना ह़क़ीक़त में ख़ुदा के दीन से फिरना और इरतिदाद है, और मोमिन का काम यही है कि वह मुरतद के ख़िलाफ़ जिहाद करे।

ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रज़ि०) का इर्शाद हैः–

"हम को नमाज़ पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म दिया गया है और जो शख़्स ज़कात न दे, उस की नमाज़ भी नहीं है।" **(तबरानी)**

क़ुर्आन पाक में उन लोगों को हिदायत से मह़रूम क़रार दिया है जो ज़कात से ग़ाफ़िल हैं।

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है–

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝٢ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝٣

"हिदायत है उन मुत्तक़ियों के लिए जो ग़ैब पर ईमान लाते हैं, नमाज़ क़ायम करते हैं, और जो कुछ हम ने उन्हें दिया है उस में से ख़ुदा की राह में ख़र्च करते हैं।"

और क़ुर्आन की नज़र में सच्चे मोमिन वही हैं जो ज़कात अदा करते हैं।

मुआ़शरे में उस की मुनासिब तक़सीम हो, और सब को अपनी हिम्मत के मुताबिक़ कमाने और ख़र्च करने की आज़ादी ह़ासिल हो। ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) का बयान है कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमायाः–

"जो शख़्स पाक कमाई में से एक खजूर भी सद्क़ा करता है, अल्लाह उस को अपने हाथ में लेकर बढ़ाता है। जिस तरह तुम अपने बच्चे की परवरिश करते हो यहाँ तक कि वह एक पहाड़ के बराबर हो जाता है।"

(बुख़ारी शरीफ़)

और आप ही की रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमायाः-

"सद्क़ा देने से माल में कमी नहीं आती (बल्कि इज़ाफ़ा होता है) और जो शख़्स अल्लाह के लिए ख़ाकसारी अख़्तियार करता है, अल्लाह उस को ऊँचा उठा देता है। **(सही मुस्लिम)**

क़ुर्आन की सराहत है कि क़ुलूब को पाक करने, नेकियों की राह पर बढ़ने, हिकमत की दौलत से मालामाल होने, ख़ुदा की ख़ुशनूदी, मग़्फ़िरत और रहमत हासिल करने, आख़िरत में हमेशा का सुकून और ख़ुदा का क़ुर्ब पाने वाले ही वह लोग हैं, जो ख़ुशदिली और पाबन्दी के साथ ज़कात अदा करते हैं।

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

(अत्तौबः १०३)

अनुवाद-

"ऐ नबी (सल्ल०) आप उन के मालों से सद्क़ा लेकर उन्हें पाक कीजिए और नेकी की राह में उन्हें आगे बढ़ाइए।"

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है-

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ
وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

(अल् बक़रः २६८-२६९)

"शैतान तुम्हें फ़क़्र और नादारी से डराता है और शर्मनाक तर्ज़े अ़मल अख़्तियार करने की तर्ग़ीब देता है। मगर अल्लाह तआ़ला तुम्हें अपनी मग़्फ़िरत और फ़ज़्ल की उम्मीद दिलाता है। बड़ा ही इ़ल्म वाला है, जिस को चाहता है हिकमते अ़मली अ़ता करता है और जिस को हिकमत मिल गई, हक़ीक़त में उस को बहुत बड़ी दौलत मिल गई।"

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है-

وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ
سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٩﴾

अनुवाद-

"और जो कुछ ख़ुदा की राह में ख़र्च करते हैं उसे ख़ुदा का तक़र्रुब हासिल करने से रहमत और दुआएँ लेने का ज़रिया बनाते हैं।"

सुन लो! यह ज़रूर उन के लिए ख़ुदा से तक़र्रुब का ज़रिया है और ख़ुदा उन को ज़रूर अपनी रहमत में दाख़िल फ़रमाएगा। बिलाशुबह वह बड़ा बख़्शने वाला, रहम फ़रमाने वाला है।

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है-

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾

अनुवाद-

"और जहन्नम की आग से वह शख़्स दूर रखा जाएगा जो अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरने वाला हो, जो दूसरों को इसलिए अपना माल देता हो कि (उस का) दिल बुख़्ल व हिर्स और दुनिया से पाक हो जाए।

हज़रत अ़दी बिन हातिम (रज़ि०) कहते हैं, मैंने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को यह फ़रमाते हुए सुना हैः-

"लोगों! जहन्नम की आग से बचो चाहे छुहारे का एक टुकड़ा ही सही।"

(बुख़ारी)

हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि०) का बयान है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमायाः-

"क़ियामत के रोज़ जब अ़र्शे इलाही के सिवा कहीं साया न होगा। उन में से एक वह शख़्स होगा जो इस क़दर राज़दारी के साथ ख़ुदा की राह में ख़र्च किया होगा कि उस के बायें हाथ को भी मालूम न हुआ होगा कि दाहिना हाथ क्या ख़र्च कर रहा है।" **(सही बुख़ारी)**

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की ख़िदमत में जब कोई शख़्स सद्क़े का माल लेकर हाज़िर होता तो आप इन्तिहाई ख़ुशी का इज़हार फ़रमाते और लाने वाले के लिए रहमत की दुआएँ माँगते। चुनांचे हज़रत अबू औफ़ा (रज़ि०) ने अपना सद्क़ा लेकर आप (सल्ल०) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आप (सल्ल०) ने उन के हक़ में यह दुआ फ़रमाई-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِیْ اَوْفٰی (صحیح بخاری)

"यानी ऐ अल्लाह! अबी औफ़ा के ख़ानदान पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा।"

एक बार हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) अस्र की नमाज़ पढ़ते ही घर तशरीफ़ ले गये और कुछ देर के बाद बाहर निकले। सहाबा (रज़ि०) ने उस का सबब पूछा तो आप (सल्ल०) ने फ़रमायाः-

"सोने की एक डली घर में रह गई थी, मैंने मुनासिब न समझा कि रात आ जाए और वह घर ही में रहे। इसलिए मैंने उस को मुस्तहक़ीन में तक़सीम कराया।" **(सही बुख़ारी)**

ज़कात वाजिब होने की शर्तें

ज़कात वाजिब होने की सात शर्तें हैं-

(१) मुसलमान होना।
(२) मालिके निसाब होना।
(३) निसाब का ज़रूरत असलिया से ज़ायद होना।
(४) मक़रूज़ न होना।
(५) माल पर पूरा साल गुज़रना।
(६) आक़िल होना।
(७) बालिग़ होना।

१- मुसलमान होना-

ग़ैर मुस्लिम पर ज़कात वाजिब नहीं है, इसलिए जो शख़्स इस्लाम क़ुबूल

करे उस पर वाजिब नहीं, कि वह इस्लाम से पहले के दिनों की भी ज़कात अदा करे[1]।

२- मालिके निसाब होना-

यानी इतने माल व मताअ़ का मालिक होना, जिस पर शरीअ़त ने ज़कात वाजिब क़रार दी है।

३- बक़्द्रे निसाब ज़रूरते असलिया से ज़ायद होना-

ज़रुरते असलिया से मुराद वह बुनियादी ज़रुरतें हैं, जिन पर आदमी की ज़िन्दगी और इज़्ज़त व आबरु का दारोमदार हो, जैसे खाना-पीना, लिबास, रहने का मकान, पेशेवर आदमी का औज़ार और मशीन वग़ैरह, सवारी का घोड़ा, साईकिल, और मोटर जो किराये पर न दी जाती हो वग़ैरह, घरदारी का सामान, किताबें जो मुताअ़ले के लिए हों, कारोबार की ग़रज़ से न हों। यह सारी ही चीज़ें ज़रुरते असलिया में शुमार होंगी, उन पर ज़कात वाजिब न होगी। हाँ उन से ज़ायद माल निसाब के बक़्द्र हो तो उस पर ज़कात वाजिब होगी, जब कि दूसरी शर्तें भी मौजूद हों।

४- मक़रूज़ न होना-

किसी शख़्स के पास बक़्द्रे निसाब माल व मताअ़ तो हो, लेकिन उस पर दूसरों का क़र्ज़ा भी हो तो उस पर ज़कात वाजिब न होगी। हाँ अगर माल इतना हो कि क़र्ज़ा अदा करने के बाद भी माल बक़्द्रे निसाब बच जाए तो ऐसे शख़्स पर ज़कात वाजिब हो जाएगी।

५- माल पर पूरा साल गुज़रना-

बक़्द्रे निसाब माल व मताअ़ हो जाने ही से ज़कात वाजिब नहीं हो जाती,

१- ग़ैर मुस्लिम अगर ख़ुदा तआ़ला की रज़ा की नियत से या इन्सानों से भलाई की नियत से ख़ैरात करता है तो क़वानीने ख़ुदावन्दी की रौशनी में उस को उस की नियत का बदला मिल जाता है। अगर कोई ग़ैर मुस्लिम तौहीद पर क़ायम हो तो उस का अज्र आख़िरत में भी मिलेगा अगर तौहीद पर ईमान नहीं तो इसी दुनिया में ही किसी फ़ायदे की सूरत में अज्र मुन्तक़िल हो जाता है।

बल्कि उस पर पूरा साल गुज़रने के बाद ज़कात वाजिब होती है।

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि०) अल्लाह तआला का बयान है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमायाः-

"किसी शख़्स को किसी भी ज़रिए से माल हासिल हो उस पर ज़कात उस वक़्त वाजिब होगी जब उस पर पूरा साल गुज़र जाए।" **(तिर्मिज़ी)**

६- ग़ाफ़िल होना-

जो शख़्स अक़्ल और समझ से महरूम, दीवाना और मजनू हो उस पर ज़कात वाजिब नहीं।

७- बालिग़ होना-

नाबालिग़ बच्चे पर ज़कात वाजिब नहीं, चाहे उस के पास कितना ही माल हो, न उस पर ज़कात वाजिब है और न उस के वली पर।

ज़कात के सही होने की शर्तें

ज़कात अदा होने की छः शर्तें हैं, अगर यह शर्तें मौजूद हों तो ज़कात अदा होगी वरना अदा न होगीः

१- मुसलमान होना
२- ज़कात अदा करने की नियत करना।
३- मालिक बनाना।
४- मुक़र्ररह मदों में ख़र्च करना।
५- आक़िल होना।
६- बालिग़ होना।

१- मुसलमान होना

ज़कात अदा होने के लिए ज़रुरी है, कि ज़कात देने वाला मुसलमान हो।

२- ज़कात अदा करने की नियत करना

ज़कात निकालते वक़्त या मुस्तहिक़ को देते वक़्त ज़कात देने की नियत

करना ज़रुरी है।

३- मालिक बनाना

ज़कात अदा करते वक़्त, ज़कात लेने वाले को उस का मालिक बनाना चाहता है किसी मुस्तहिक़ ज़कात को मालिक बनाए या ज़कात की तहसील और तक़सीम करने वाले इदारे को मालिक बनाए।

४- मुक़र्ररह मदों में ख़र्च करना

ज़कात ख़र्च करने की मदें क़ुर्आन ने बयान कर दी हैं, उन के अ़लावा किसी दूसरी मद में अगर ज़कात की रक़म दी जाएगी तो ज़कात अदा न होगी।

५- आक़िल होना

दीवाना, मजनून और पागल शख़्स ज़कात अदा करे तो ज़कात अदा न होगी।

६- बालिग़ होना

नाबालिग़ बच्चा अगर ज़कात अदा करे तो ज़कात सही न होगी।

ज़कात वाजिब होने के मसायल

१- जिस माल में कोई दूसरा हक़, उश्र, ख़िराज, वग़ैरह वाजिब हो उस पर ज़कात वाजिब न होगी, क्योंकि एक माल पर दो हक़ वाजिब नहीं होते।

(इल्मुल् फ़िक़ः भाग-४)

२- जो चीज़ें किसी ने किसी के पास रहन रख दी हो, उन पर भी ज़कात वाजिब नहीं है न रहन रखने वाले पर और न रखवाने वाले पर।

(इल्मुल फ़िक़ः भाग-४)

३- किसी का कोई माल गुम हो गया या रक़म खो गई फिर एक मुद्दत के बाद ख़ुदा के फ़ज़्ल से वह माल मिल गया, और खोई हुई दस्तेयाब हो गई तो इस

मुद्दत की ज़कात वाजिब न होगी, जिस मुद्दत में माल खोया हुआ था[१]।

५- किसी के पास साल के शुरु में निसाब के बाद माल मौजूद था, दर्मियान में कुछ मुद्दत के लिए माल कम हो गया या बिल्कुल ही नहीं रहा लेकिन साल के आख़िर में फिर ख़ुदा के फ़ज़्ल व करम से निसाब के बक़द्र हो गया तो उस माल पर ज़कात वाजिब होगी। दर्मियान में माल कम होने या न होने का एतिबार न किया जाएगा। **(इल्मुल् फ़िक़ः, भाग-४)**

६- गिरफ़्तार होने वाले शख़्स के माल पर भी ज़कात वाजिब है। जो शख़्स भी उस के पीछे उस के कारोबार या उस के माल का मुतवल्ली हो वह ज़कात अदा करे।

७- मुसाफ़िर के माल पर भी ज़कात वाजिब है। अगर वह साहिबे निसाब हो, बिलाशुबह मुसाफ़िर होने की वजह से ज़कात लेने का भी मुस्तहिक़ है, लेकिन चूंकि वह ग़नी और साहिबे निसाब भी है इसलिए उस पर ज़कात वाजिब है, उस का सफ़र उसे ज़कात का मुस्तहिक़ बनाता है और उस का मालदार होना उस पर ज़कात को फ़र्ज़ करता है।

८- किसी ने किसी को कोई हदिया दिया, अगर वह बक़द्रे निसाब हो और उस पर साल गुज़र जाए तो उस पर ज़कात वाजिब होगी।

९- घर का साज़ो-सामान जैसे ताँबा, पीतल, ऐलुमूनियम और स्टील वग़ैरह के बर्तन, पहनने, ओढ़ने के कपड़े, दरी, फ़र्श, फ़र्नीचर वग़ैरह चाहे कितने ही क़ीमती हों, उन पर ज़कात वाजिब नहीं।

१०- किसी तक़रीब में ख़र्च करने के लिए किसी ने अच्छी मिक़्दार में ग़ल्ला वग़ैरह ख़रीद लिया फिर नफ़ा के लिए उस को फ़रोख़्त कर दिया। तो उस पर ज़कात वाजिब न होगी और ज़कात सिर्फ़ उसी माल पर वाजिब होगी, जो कारोबार के इरादे से ख़रीदा हो।

११- किसी के पास हज़ार रुपये थे, साल पूरा होने पर उस में से पाँच सौ रुपये ज़ाया हो गये और बाक़ी रक़म उस शख़्स ने ख़ैरात कर दी तो सिर्फ़ ज़ाया

१- इसलिए कि ज़कात के वजूब के लिए माल का अपने क़ब्ज़े और अपने मिल्क में होना ज़रूरी है।

शुदा रक़म की ज़कात वाजिब रहेगी। ख़ैरात किये हुए रक़म की ज़कात वाजिब नहीं होगी।

१२- ज़कात वाजिब होने के बाद किसी का माल व मताअ़ ज़ाया हो गया तो ऐसे शख़्स पर ज़कात वाजिब न होगी।

१३- किसी कारोबार में चन्द लोग शरीक हों, और सब की रक़म लगी हुई हो अगर हर शरीक का अलग-अलग हिस्सा निसाब से कम हो तो न होगी, चाहे सब के हिस्सों का मजमूआ बक़द्रे निसाब या ज़ायद हो।

१४- किसी शख़्स ने रमज़ान के महीने में दो हज़ार रुपये की ज़कात अदा की, और यह दो हज़ार उस के पास महफ़ूज़ हैं। अब रजब के महीने में अल्लाह के फ़ज़्ल से दो हज़ार उस को मज़ीद मिल गये, तो अब साल पूरा होने पर वह चार हज़ार की ज़कात अदा करे। यह न सोचे कि दो हज़ार जो रजब में मिले हैं उन पर तो साल नहीं गुज़रा है, साल के दौरान जो रक़म मिल गई, वह चाहे कारोबार में नफ़ा के ज़रिए बढ़े या चौपायों के बच्चे हो जायें या कोई माल हदिया कर दे या मीरास में मिल जाए। ग़र्ज़ जिस तरह भी कोई रक़म या माल मिले, सारे माल पर ज़कात अदा करनी होगी चाहे बाद में मिलने वाले माल पर अभी पूरा साल न गुज़रा हो।

ज़कात अदा करने के मसायल

१- ज़कात अदा करते वक़्त यह ज़रुरी नहीं कि मुस्तहिक़ को देते वक़्त यह जताया जाए कि यह ज़कात है, बल्कि इनआ़म या बच्चों के लिए तोहफ़े या ईदी के तौर पर देना जायज़ है। सिर्फ़ यह काफ़ी है कि ज़कात देने की नियत करे।

२- मज़दूर को किसी ख़िदमत के बदले में या मुलाज़िम और ख़ादिमा को ज़कात देना सही नहीं। अल्बत्ता बैतुल माल की तरफ़ से जो लोग वसूल करने और तक़सीम करने पर मुक़र्रर हों उन की तन्ख़्वाहें ज़कात के माल में से दी जा सकती हैं।

३- साल पूरा होने से पहले पेशगी ज़कात देना जायज़ है, और माहाना अदा

करना भी जायज़ है, बशर्ते कि वह शख़्स साहिबे निसाब हो कोई इस उम्मीद पर पेशगी ज़कात दे रहा हो, कि आइन्दा वह साहिबे निसाब होने वाला है, तो ऐसे शख़्स की ज़कात अदा न होगी। जिस वक़्त वह माले निसाब होगा और साल गुज़र जाएगा, उस को फिर ज़कात देना होगा।

हज़रत अ़ली (रज़ि०) का बयान है कि हज़रत अ़ब्बास (रज़ि०) ने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से अपनी ज़कात पेशगी अदा करने के बारे में दर्याफ़्त किया तो आप को इजाज़त दे दी। **(अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)**

४- ज़कात में दर्मियानी मेयार का माल अदा करना चाहिए न तो ज़कात देने वाला मामूली चीज़ ज़कात में अदा करे और न यह दुरुस्त है कि ज़कात वसूल करने वाला अच्छे से अच्छा माल वसूल करे, देने वाला भी खुदा की राह में अच्छा देने की कोशिश करे और लेने वाला भी किसी पर ज़्यादती न करे।

५- ज़कात अदा करने वाले को अख़्तियार है चाहे वह चीज़ अदा करे जिस पर ज़कात वाजिब हुई है, जैसे- सोना या जानवर या उसकी क़ीमत अदा करे हर हाल में ज़कात अदा हो जाएगी। हाँ यह वाज़ेह रहे कि क़ीमत अदा करने की सूरत में उस वक़्त की क़ीमत का एतिबार किया जाएगा जिस वक़्त ज़कात अदा की जा रही है न कि उस वक़्त की क़ीमत जिस वक़्त कि ज़कात वाजिब हुई है। जैसे-

एक शख़्स के यहाँ बकरियाँ पली हुई हैं, साल गुज़रने पर ज़कात में एक बकरी उस पर वाजिब हो गई जिस की क़ीमत ज़कात वाजिब होने के वक़्त ५० रु० है। किसी वजह से उस वक़्त उस ने ज़कात अदा नहीं की, चन्द माह बाद अदा कर रहा है तो उस वक़्त बकरी की जो क़ीमत होगी, वही अदा करना होगी। अगर क़ीमत बढ़ कर ६० रु० हो गई है तो ६० रु० ही देना होगी और अगर कम होकर चालीस रह गई तो चालीस रु० ही देना होंगे।

६- ज़कात इस्लामी हुकूमत के बैतुल माल में जमा होनी चाहिए और इस्लामी हुकूमत का यह अहम फ़र्ज़ है कि वह ज़कात की तहसील और तक़सीम का इन्तिज़ाम करे, और जहाँ कहीं मुसलमान अपनी ग़फ़लत की वजह से

महकूमी की ज़िन्दगी गुज़ार रहे हैं वह ऐसी सूरत में अपने तौर पर मुसलमानों का बैतुल माल क़ायम करें और उस में ज़कात जमा करें और बैतुल माल से ही ज़कात उस के मसारिफ़ में सर्फ़ की जाए और जो इस इज्तिमाअ़त से महरूम हो, तो वह अपने तौर पर मुस्तहक़ीन को ज़कात पहुँचाएँ, और मुसल्सल इल्मी और अ़मली कोशिशें करते रहें ताकि इस्लामी निज़ाम क़ायम हो। इसलिए कि इस्लामी निज़ाम का क़याम मुसलमानों का फ़रीज़ा भी है, और उस के बग़ैर इस्लाम के बहुत से अहकाम व क़वानीन पर भी अ़मल मुमकिन नहीं है।

७- जो लोग आ़रज़ी तौर पर या मुस्तक़िल तौर पर ज़कात के मुस्तहिक़ और मोहताज हों, जैसे- अपाहिज, बीमार, ज़ईफ़, नादार, मिस्कीन, बेवायें। उन को वक़्ती तौर पर भी बैतुल माल से मदद की जा सकती है, और मुस्तक़िल तौर पर भी उन के गुज़ारे और वज़ीफ़े मुक़र्रर किये जा सकते हैं।

८- बैतुल माल से ज़कात मुस्तहक़ीन को भी दी जा सकती है, और इदारों को भी दी जा सकती है और खुद भी ऐसे इदारे क़ायम किये जा सकते हैं जो मसारिफ़ ज़कात से मुतअ़ल्लिक़ हों। जैसे-
यतीम ख़ाने, मोहताज ख़ाने और नादारों के लिए तालीमी इदारे और शिफ़ाख़ाने वग़ैरह।

९- हाजतमन्द लोगों को ज़कात की मद से क़र्ज़े हसना देना जायज़ है, बल्कि नादारों को ऊँचा उठाने और उन को पैरों पर खड़ा करने के लिए क़र्ज़े हसना देना अफ़ज़ल है।

१०- जिन रिश्तेदारों को ज़कात देना जायज़ है, उन को ज़कात देने का दोगुना अज्र है। एक ज़कात देने और दूसरा सिला रहमी का और अगर यह ख़याल हो कि अ़ज़ीज़ और रिश्तेदार ज़कात की रक़म लेते हुए शर्म महसूस करेंगे या ज़रुरतमंद होने के बावजूद दोबारा माँगेंगे और न लेंगे, तो यह उन को न बताया जाए कि यह ज़कात का माल है, इसलिए कि ज़कात अदा करने में मुस्तहिक़ को बताना शर्त नहीं कि यह ज़कात है, बल्कि किसी तक़रीब में तआ़वुन के तौर पर ईदी के तौर पर या किसी और तरीक़े से वह रक़म

पहुँचा दी जाए।

११- बेहतर यह है कि ज़कात क़मरी महीनों के हिसाब से अदा की जाए लेकिन यह ज़रूरी नहीं है, शम्सी हिसाब से भी ज़कात अदा की जा सकती है, क़मरी हिसाब से ज़कात का वजूब कहीं साबित नहीं है और न यह ज़रूरी है कि किसी ख़ास महीने में ज़कात अदा की जाए। अलबत्ता रमज़ानुल मुबारक चूंकि नेकियों की बहार का महीना है और इस में हर इबादत का अज्र बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस माह में देना बेहतर है, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी नहीं, और न अदाए ज़कात के लिए कोई शर्त है।

१२- आ़म हालात में मुनासिब है कि एक इलाक़े की ज़कात उसी इलाक़े में सर्फ़ की जाए। अलबत्ता दूसरे इलाक़ों में कोई शदीद ज़रूरत पेश आ जाए, या अ़ज़ीज़ व अक़ारिब दूसरी जगह रहते हों और वह हाजतमंदों, या आफ़त नाज़िल हो गई हो तो ऐसी सूरत में दूसरे इलाक़ों में भी ज़कात की रक़म भेजी जा सकती है, अलबत्ता यह ख़याल रहे कि अपनी बस्ती और इलाक़े के हाजतमंद लोग महरूम न रह जायें।

१३- ज़कात अदा होने के लिए यह भी शर्त है कि जिस को ज़कात दी जाए उस को मालिक और क़ाबिज़ बना दिया जाए। अगर कोई शख़्स खाना पकवाकर मुस्तहक़ीन को घर में खिला दे तो यह ज़कात सही न होगी। हां खाना उन के हवाले कर के उन को अख़्तियार दे कि वह खुद खायें या किसी को खिलायें या जो चाहें करें, तो ज़कात अदा हो जाएगी, किसी इदारे या बैतुल माल को देने से भी मालिक बनाने का तक़ाज़ा पूरा हो जाता है, इसी तरह ज़कात वसूल करने वाले को ज़कात दे देने से भी तमलीक का तक़ाज़ा पूरा हो जाता है। इस के बाद फिर बैतुल माल या ज़कात वसूल करने वाला इदारा ज़िम्मेदार है, ज़कात देने वाले की यह ज़िम्मेदारी नहीं है कि वह अब मुस्तहक़ीन को फिर मालिक बनाए।

१४- अगर कोई शख़्स अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त या किसी की तरफ़ से भी बतौर खुद ज़कात अदा करे, तो उस शख़्स की ज़कात अदा हो जाएगी। जैसे

शौहर अपनी बीवी के ज़ेवर वग़ैरह की ज़कात अपने पास से अदा करे तो बीवी की ज़कात अदा हो जाएगी।

एक मौक़े पर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के चचा हज़रत अ़ब्बास (रज़ि०) ने आप (सल्ल०) के मुक़र्रर किये हुए मोहसिल हज़रत उ़मर (रज़ि०) को ज़कात नहीं दी तो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमायाः-

“उन की ज़कात मेरे ज़िम्मे है बल्कि इस से ज़्यादा, उमर! तुम समझते नहीं कि आदमी का चचा उस के लिए बाप के बराबर है।” **(मुस्लिम)**

ज़कात का निसाब

जिन मालों में ज़कात फ़र्ज़ है उन की शरीअ़त ने ख़ास-ख़ास मिक़्दार मुक़र्रर कर दी है। जब इतनी मिक़्दार किसी के पास पूरी हो जाए और उस पर पूरा साल गुज़र जाए तब ज़कात फ़र्ज़ होती है। इस मिक़्दार को ‘निसाब’ कहते हैं।

सोने व चाँदी का निसाब

सोने का निसाब सात तोला साढ़े आठ माशा सोना है और चाँदी का निसाब ५४ तोला दो माशा चाँदी है। तोला से अंग्रेज़ी रुपये का वज़न मुराद है, ज़कात में चालीसवां हिस्सा १/४० देना फ़र्ज़ होता है। बस सात तोला साढ़े आठ माशा सोने की ज़कात दो माशा ढ़ाई रत्ती सोना हुआ। और ५४ तोला दो माशा चाँदी की ज़कात एक तोला चार माशा दो रत्ती चाँदी हुई।

निसाब का खुलासा-

सोने का निसाब साढ़े सात तोला सोना और मौजूदा वज़न से ८७ ग्राम ४७८ मिलीग्राम उस शख़्स के लिए जिस के पास सिर्फ़ सोना हो, चांदी माले तिजारत और नक़्दी में से कुछ भी न हो।

इसी तरह़ चाँदी का निसाब साढ़े बावन तोला है और मौजूदा वज़न से ६१२ ग्राम ३५ मिलीग्राम है। यह उस सूरत में है जबकि सिर्फ़ चाँदी हो। सोना,

माले तिजारत और नक़्दी बिल्कुल न हो। अगर सोने या चाँदी के साथ कोई दूसरा माले ज़कात भी है तो सबकी क़ीमत लगाई जाएगी। अगर सबकी मालियत ८७ ग्राम ४७६ मिलीग्राम सोने या ६१२ ग्राम ३५ मिलीग्राम चाँदी की क़ीमत के बराबर हो तो ज़कात फ़र्ज़ है।

ख़ुलासा यह है कि सोना साढ़े सात तोला ८७ ग्राम ४७६ मिलीग्राम या चाँदी साढ़े बावन तोला ६१२ ग्राम ३५ मिलीग्राम या माले तिजारत या नक़्दी या इन चारो चीज़ों सोना, चाँदी, माले तिजारत, नक़्दी में से बाज़ सोने या चाँदी के वज़न की क़ीमत के बराबर हो। **(अहसनुल फ़तावा भाग-४ पेज नं० २५४)**

चाँदी व सोने की तमाम चीज़ों में ज़कात फ़र्ज़ है जैसे अशरफ़ियाँ रुपये, ज़ेवर, बर्तन, गोटा, वग़ैरह। इसी तरह अगर किसी के पास नोट बक़द्रे निसाब हों तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है।

अगर किसी के पास थोड़ी सी चाँदी और थोड़ा सा सोना है और दोनों में से किसी का निसाब पूरा नहीं तो इस सूरत में सोने की क़ीमत चाँदी से या चाँदी की क़ीमत सोने से लगा कर देखा जाए कि दोनों में से किसी का निसाब पूरा होता है या नहीं अगर किसी का निसाब पूरा हो जाए तो उस के हिसाब से ज़कात दी जाए और दोनों में से किसी का निसाब पूरा न हो तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं।

अगर किसी चाँदी या सोने की चीज़ में खोट मिला हो और अगर खोट ग़ालिब है तो उस पर ज़कात नहीं और अगर खोट मग़लूब है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है।

हर क़िस्म के माले तिजारत में ज़कात फ़र्ज़ है। माले तिजारत से वह माल मुराद है जो नफ़ा कमाने के लिए हो चाहे किसी क़िस्म का माल हो जैसे- ग़ल्ला, कपड़ा कुन्द, किताबें, जूतियाँ, बिसात ख़ाने का सामान वग़ैरह।

हर क़िस्म के तिजारती माल की सोने या चांदी से क़ीमत लगाई जाएगी फिर चाँदी या सोने का निसाब क़ायम करके उस के हिसाब से ज़कात अदा की जाए।

जानवरों की ज़कात

जानवर अगर तिजारत के लिए हैं तो उन में तिजारत की ज़कात फ़र्ज़ है और अगर जानवर घर की ज़रुरियात सवारी वग़ैरह के लिए पाल रखे हैं तो उन में ज़कात फ़र्ज़ नहीं। और अगर घर की ज़रुरत से ज़ायद हैं और उन का गुज़ारा अक्सर जंगल के चारे पर है तो उन पर ज़कात फ़र्ज़ है और हर एक जानवर का अलैहिदा- अलैहिदा निसाब मुक़र्रर है।

बकरियों का निसाब

चालीस बकरी से कम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। चालीस बकरियों पर जबकि उन पर पूरा साल गुज़र जाए एक बकरी फ़र्ज़ है। एक सौ बीस बकरियों तक। एक सौ बीस बकरियों से एक भी बढ़ जाए तो फिर दो सौ बकरियों तक दो बकरियाँ फ़र्ज़ हैं। दो सौ के बाद चार सौ तक तीन बकरियाँ फ़र्ज़ हैं। जब चार सौ हो जाएँ तो फिर चार बकरियाँ फ़र्ज़ हैं उस के बाद हर सौ बकरियों पर एक बकरी है। बकरी और मेंढ़ा दोनों का हुक्म एक ही है।

गाय का निसाब

तीस से कम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। तीस पर जबकि उन पर पूरा साल गुज़र जाए एक साला गाय का बच्चा फ़र्ज़ है और चालीस गाय हों तो दो साला बच्चा और साठ में दो एक-एक साला बच्चा और सत्तर में एक दो साला और एक-एक साल का बच्चा और अस्सी में दो-दो साला बच्चे और नव्वे में तीन एक साला बच्चा और सौ में दो-दो साल का और एक-एक साल का बच्चा फ़र्ज़ है। इसी तरह हर दस पर एक साल का इज़ाफ़ा होता रहेगा। गाय और भैंस का एक ही हुक्म है और ज़कात की अदाएगी में बछड़ा और बछड़ी बराबर है जो चाहे दे।

ऊँटो का निसाब

पाँच ऊँट से कम पर ज़कात नहीं। पाँच ऊँटों पर अगर पूरा साल गुज़र जाए तो एक बकरी फ़र्ज़ है। नौ ऊँटो तक और दस से चौदह तक दो बकरी हैं और पन्द्रह से उन्नीस तक तीन बकरी और बीस से चौबीस तक चार बकरी और पच्चीस से पैंतीस तक एक साल के ऊँट का बच्चा और छत्तीस से पैतालिस तक दो साल के ऊँट का बच्चा और छियालिस से साठ तक तीन साल का ऊँट और इक्सठ से पच्हत्तर तक चार साल का ऊँट और छियत्तर से नव्वे तक दो साल का ऊँट और इक्कियानवें से एक सौ बीस तक दो तीन साल का ऊँट। एक सौ बीस के बाद फिर पहले की तरह़ ह़िसाब शुरु किया जाए।

उश्च यानी पैदावार की ज़कात

रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है, जो ज़मीन आस्मान या कुद्रती पानी से सैराब हो या (जो ओस और अपने अन्दर के पानी से खुद-ब-खुद सैराब हुई हो) उस पर अश्च यानी दस्वाँ ह़िस्सा ज़कात है और जो ज़मीन खुद से सींचा हो, उस पर बीसवाँ ह़िस्सा ज़कात है। **(बुख़ारी, अबूदाऊद, तिर्मिज़ी)**

अलूबत्ता लकड़ी और बांस और घास जैसी चीज़ों में कुछ वाजिब नहीं और साहि़बैन (यानी क़ाज़ी अबू यूसुफ़ (रह़०) और इमाम मुहम्मद रह़०) के नज़दीक सिर्फ़ उन चीज़ों में उश्च है। जो बिला मशक़्क़त साल भर तक बाक़ी रह सकें और दीगर मालों की तरह़ उन का भी निसाब मुक़र्रर है। निसाब से कम पर कुछ वाजिब नहीं।

और ख़राजी ज़मीन की पैदावार में किसी के नज़दीक भी उश्च वाजिब नहीं। ख़िराजी ज़मीन से वह ज़मीन मुराद है जो कुफ़्फ़ार के ज़रिए ह़ासिल हुई हो।

ज़कात अदा करने का तरीक़ा

ज़कात अदा करने का तरीक़ा यह है कि जितनी ज़कात वाजिब हुई है वह किसी मुस्तह़िक़् ज़कात को खुदा के वास्ते दे दी जाए और उसे माल का

मालिक बना दिया जाए किसी ख़िदमत या किसी काम की उजरत में ज़कात देना जाएज़ नहीं।

अलूबत्ता आ़मिल ज़कात यानी उस शख़्स को जो हुकूमते शरञि़या की तरफ़ से माल ज़कात वसूल करने पर मुक़र्रर होता है उस की तन्ख़्वाह माले ज़कात में से देना जायज़ है। अगर माल ज़कात में से मुह़ताजों के लिए कोई चीज़ कपड़ा या ग़ल्ला ख़रीद कर उन को दे दिया जाए तो जायज़ है।

जब बक़द्रे निसाब माल पर क़मरी महीनों के ह़िसाब से साल पूरा हो जाए तो फ़ौरन ज़कात अदा करना चाहिए बिलावजह फ़र्ज़ की अदाएगी में देर करना मुनासिब नहीं और अगर साल पूरा होने से पहले कोई शख़्स ज़कात दे दे तो भी ज़ायज़ है।

ज़कात देते वक़्त नियत करना ज़रुरी है यानी दिल में यह इरादा कर लेना चाहिए कि मैं यह रक़म या यह माल ज़कात में दे रहा हूँ। अगर बग़ैर ख़याल ज़कात के किसी को माल दे दिया और देने के बाद उस को ज़कात के ह़िसाब में लगा लिया तो ज़कात अदा न होगी। अगर ज़कात की नियत से माल निकाल कर अ़लैह़िदा कर लिया और उस को तक़सीम कर दिया तो यह भी नियत के लिए काफ़ी है।

अगर साल गुज़रने के बाद ज़कात देने से पहले किसी का सारा माल ज़ाया हो गया तो उस की ज़कात भी उस के ज़िम्मे से साक़ित हो गई और अगर तमाम माल को खुदा की राह में ख़र्च कर दिया तब भी उस की ज़कात माफ़ हो गई और अगर कुछ माल ज़ाया हो गया या ख़ैरात कर दिया तो जिस क़दर माल ज़ाया हुआ या ख़ैरात किया उस की ज़कात भी ख़त्म हो गई। बाक़ी माल की ज़कात अदा करे।

अगर चाँदी की ज़कात चाँदी से अदा करे तो वज़न का एतिबार है। जैसे किसी के पास सिर्फ़ चाँदी है तो उसे अख़्तियार है कि चाहे ह़िसाब लगाकर वह उतने रुपये दे दे या चाँदी का टुकड़ा दे-दे, ज़कात अदा हो जाएगी।

जिस माल में जो ज़कात फ़र्ज़ हुई है चाहे उसी को मुह़ताजों को दे दे और चाहे उस की क़ीमत लगा कर क़ीमत को या उस से कोई दूसरी चीज़ जैसे ग़ल्ला कपड़ा वग़ैरह ख़रीद कर दे-दे सब सूरतों में ज़कात अदा हो जाएगी।

अगर शुरु और अख़ीर साल में ज़कात का निसाब पूरा है तो उस की ज़कात फ़र्ज़ है। अगरचे दर्मियान साल में निसाब से कम हो गया। अगर साहिबे निसाब था और दर्मियान साल में इसी निसाब की जिन्स से और माल का इज़ाफ़ा हो गया तो उस माल की भी ज़कात दे दी जाएगी।

सिक्को और नोटों की ज़कात

हुकूमत के सिक्के चाहे वह किसी धातु के हों और काग़ज़ी सिक्के यानी नोट वग़ैरह की ज़कात वग़ैरह की ज़कात वाजिब है, क्योंकि उन की क़ीमत उन के धातु या उन के काग़ज़ों की वजह से नहीं है बल्कि उस कुव्वते ख़रीद की बिना पर है। जो क़ानूनन उन के अन्दर पैदा कर दी गई हैं, जिस की वजह से वह चाँदी और सोने के क़ायम मक़ाम हैं। लिहाज़ा जिस शख़्स के पास छत्तीस तोले साढ़े पाँच माशे चाँदी की क़ीमत के नोट या सिक्के मौजूद हों उस पर ज़कात वाजिब है।

अमवाले तिजारत की ज़कात

माले तिजारत हो या नोट और सिक्के वग़ैरह, उन सब का निसाब भी वही है जो सोने और चाँदी का निसाब है। यानी सोने और चाँदी के निसाब को बुनियाद बना कर ज़कात अदा की जाए। जैसे-

किसी के पास मुब्लिग़ ६००० रु० मौजूद हों, इस रक़म में सोने का निसाब तो नहीं बनता लेकिन चांदी का निसाब बन जाता है, तो इसी निसाब के हिसाब से ज़कात अदा करना होगा।

अमवाले तिजारत में ज़कात अदा करने का तरीक़ा यह है कि कारोबार शुरू करने की तारीख़ पर जब एक साल गुज़र जाए तो तिजारती माल (stock In trade) की मालियत का हिसाब लगाया जाए और देखा जाए कि नक़्द रक़म (cash in hand) कितनी है, दोनों के मजमूऐ पर ज़कात निकाली जाए।

इसी तरह अगर कुछ माल चन्द लोगों की शिरकत में हो तो उस पर ज़कात उसी सूरत में वाजिब होगी, जब हर शरीक का हिस्सा बक़द्रे निसाब हो जैसे-

चालीस बकरियाँ दो आदमियों की शिरकत में हैं या साढ़े बावन तोले चाँदी दो लोगों की मिल्कियत में हो तो उस पर ज़कात वाजिब न होगी। कारोबार में काम आने वाले आलात, फ़र्नीचर, स्टेशनरी का सामान, इमारत यानी अमवाल पैदाईश पर ज़कात वाजिब नहीं होती सिर्फ़ माले तिजारत और कैश रक़म की वाक़ई मालियत पर ज़कात वाजिब होगी। ज़कात देते वक़्त उन क़र्ज़ों की रक़म भी महसूल करना चाहिए जो कारोबार के दौरान दिए जाते रहे हैं और वसूल होते रहते हैं।

हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि०) का बयान है कि “रसूल (सल्ल०) का हमारे लिए यह हुक्म था कि हम अमवाले तिजारत की ज़कात निकाला करें।”

ज़ेवर की ज़कात

सोना, चाँदी किसी शक्ल में भी हो उस की ज़कात वाजिब है चाहे वह सिक्के हों, डली हो, तार, हो, गोटा लचका हो, या कपड़े पर ज़रकारी का काम हो, या कपड़े की बनाई में सोने या चांदी का तार शामिल हो या औरत के इस्तेमाल का ज़ेवर हो, हर एक पर ज़कात वाजिब है।

“यमन की एक ख़ातून हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की ख़िदमत में हाज़िर हुई। उस के साथ उस की लड़की भी थी जिस के हाथों में सोने के दो वज़नी कंगन थे। आप (सल्ल०) ने दरयाफ़्त फ़रमाया, तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? ख़ातून ने कहा, जी नहीं ज़कात तो नहीं देती हूँ। आप (सल्ल०) ने फ़रमाया-

‘क्या तुम्हें यह गवारा है कि क़ियामत के रोज़ ख़ुदा इस की वजह से तुम्हें आग के दो कंगन पहनाए। (यह सुन कर) ख़ातून ने वह दोनों कंगन उतारे और हुज़ूर (सल्ल०) की ख़िदमत में पेश करते हुए कहा यह अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए पेशे ख़िदमत हैं।’

ज़कात की मिक़्दार

१- सोना, चाँदी, तिजारती माल, धातु के सिक्के, नोट, ज़ेवर सब पर चालीसवाँ हिस्सा यानी ढ़ाई फ़ीसद की शरह से ज़कात वाजिब होगी।
२- सोना, चाँदी या ज़ेवर में चालीसवाँ हिस्सा सोना, चाँदी ज़कात में देना

वाजिब है, लेकिन यह ज़रुरी नहीं कि सोना चांदी ही दी जाए, उस की क़ीमत का हिसाब लगाकर नक़्द रक़म भी दी जा सकती है। कपड़े भी दिये जा सकते हैं और दूसरी चीज़ें भी दी जा सकती है। नक़्दी या तिजारती माल की क़ीमत अगर सोने या चांदी में से किसी के निसाब के बक़द्र हो, तो उस का ढ़ाई फ़ीसद ज़कात में देना होगा।

३- सोने या चाँदी का जो निसाब बयान किया गया है, अगर किसी के पास इस निसाब से कुछ ज़्यादा सोना चाँदी या तिजारती माल है तो उस पर ज़कात उसी सूरत में वाजिब होगी जब वह इस निसाब के पाँचवें हिस्से के बक़द्र हो उस से कम माफ़ है। **(इल्मुल फ़िक़्ः, भाग ४, पेज नं० २७)**

४- अगर किसी ज़ेवर या कपड़े में सोना, चाँदी मिले हुए हैं, तो यह देखना चाहिए कि क्या ज़्यादा है, जो चीज़ ज़्यादा हो उसी का एतिबार किया जाएगा। सोना ज़्यादा है तो सब सोना तसव्वुर किया जाएगा और सोने के निसाब से उस की ज़कात भी अदा की जाएगी और अगर चाँदी ज़्यादा है तो सब को चाँदी तसव्वुर करके चांदी के निसाब से उस की ज़कात अदा की जाएगी।

५- सोने या चाँदी के ज़ेवर वग़ैरह में अगर किसी दूसरी धातु का मेल हो, और उस की मिक़्दार सोने या चाँदी से कम हो तो उस का कोई एतिबार न होगा और इस अ़दद को सोने या चाँदी का तसव्वुर करके ज़कात दी जाएगी। अगर उस में सोना, चाँदी से कम हो तो उस का कोई एतिबार न होगा और इस अ़दद को सोने या चांदी का तसव्वुर कर के ज़कात दी जाएगी। अगर उस में सोना या चाँदी कम है तो सिर्फ़ उसी सोने और चाँदी का हिसाब लगाया जाएगा अगर वह बक़द्रे निसाब होगी तो ज़कात वाजिब होगी वरना नहीं।

६- एक शख़्स के पास कुछ सोना है और कुछ चाँदी है, उन में से जिस चीज़ का निसाब पूरा होगा उस के साथ दूसरी जिन्स की क़ीमत का भी हिसाब लगाकर ढ़ाई फ़ीसद के हिसाब से सब की ज़कात दी जाएगी।

७- अगर किसी के पास सोना भी निसाब से कम हो और चाँदी भी निसाब से कम हो तो चाँदी को सोने से मिलाकर जो निसाब भी पूरा होता है उस पर

ढ़ाई फ़ीसद के हिसाब से ज़कात दी जाएगी। इस तरह कुछ नक़्द रक़म है, कुछ चाँदी है, कुछ तिजारती माल है तो सब को मिलाकर अगर चाँदी या सोने का निसाब पूरा हो तब भी ज़कात वाजिब होगी।

८- ज़ेवरों में जो जवाहरात और मोती वग़ैरह हों उन पर ज़कात नहीं है, उन का वज़न करने के बाद बाक़ी सोने या चाँदी के वज़न पर ढ़ाई फ़ीसद के हिसाब से ज़कात निकाली जाएगी।

वह चीज़ें जिन पर ज़कात नहीं है

१- रहने बसने के मकान पर ज़कात नहीं है, चाहे वह कितनी ही मालियत का हो।

२- मोती, या याक़ूत और दूसरे तमाम जवाहरात पर ज़कात नहीं है।

३- आबपाशी और खेतीबाड़ी के लिए जो ऊँट, बैल, भैंस पाले गये हों उन पर ज़कात नहीं है, इस मामले में उसूल यह है कि एक शख़्स अपने कारोबार में जिन अ़वामिल पैदाईश से काम ले रहा हो वह ज़कात से अलग हैं। ह़दीस में है।

ليس في الابل العوامل صدقة

यानी जिन ऊँटों से खेती बाड़ी में काम लिया जाता है उन पर ज़कात नहीं है क्योंकि उन की ज़कात ज़मीन की पैदावार से ह़ासिल हो जाती है। इसी तरह तमाम आलात पैदाईश पर ज़कात नहीं है।

४- कारख़ाने की मशीनों और आलात पर ज़कात नहीं है, कारख़ाने की इ़मारत, कारोबार में काम आने वाले फ़र्नीचर, स्टेशनरी के सामान, दुकान की इमारत पर ज़कात नहीं है।

५- कारख़ाने की मशीनों पर ज़कात नहीं है, इसलिए कि यह भी अ़मवाल की तारीफ़ में नहीं आते हैं। अल्बत्ता डेरी फ़ार्म की मजमूआ़त पर ज़कात वाजिब है।

६- बेश क़ीमत नादिर चीज़ें अगर किसी ने यादगार के तौर पर शैक़िया घर में रखी हों तो उन पर ज़कात नहीं है। अल्बत्ता अगर उन की तिजारत कर

रहा है तो उन पर वही ज़कात आयद होगी जो अमवाले तिजारत पर होती है।

७- किसी ने हौज़ या तालाब वग़ैरह में शौक़िया मछलियाँ पाल रखी हैं तो उन पर ज़कात न होगी, हाँ अगर उन की तिजारत कर रहा है तो तिजारती माल पर ज़कात वाजिब है।

८- मवेशी जो ज़ाती ज़रुरत के लिए पाले गये हों, जैसे- दूध पीने के लिए चन्द गायें या भैंस पाल ली हैं या नक़्ल व हमल के लिए बैल, ऊँट या चन्द घोड़े पाल लिए हैं तो उन की तादाद चाहे कितनी हो उन पर ज़कात वाजिब नहीं है।

९- सवारी के लिए मोटर साईकिल या कार हो तो उस पर भी ज़कात नहीं है।

१०- मुर्ग़ीख़ाने, अण्डो की फ़रोख़्त के लिए क़ायम किया गया हो तो उस की मुर्गियों पर ज़कात नहीं है, अल्बत्ता फ़रोख़्त होने वाले अण्डों पर वही ज़कात वाजिब होगी जो दूसरे तिजारती अमवाल पर वाजिब है।

११- शौक़िया तौर पर जो मुर्गियाँ या इस क़िस्म के दूसरे जानवर पाले जायें उन पर भी ज़कात नहीं है।

१२- किराये पर चलाई जाने वाली चीज़ जैसे- साईकिल, रिक्शा, टैक्सी, बस, ट्रक, फ़र्नीचर और क्राकरी के सामान वग़ैरह पर ज़कात नहीं है, उन से हासिल होने वाला मुनाफ़ा अगर बक़द्रे निसाब हो और उस पर साल गुज़र जाए तो ज़कात वाजिब हो जाएगी। उन की क़ीमतों पर कोई ज़कात नहीं।

१३- दुकान और मकान जिन से किराया वसूल होता हो, उन पर भी ज़कात नहीं है, चाहे उन की तादाद जितनी हो, और जिस मालियत के हो। लेकिन उसूल होने वाले माल पर ज़कात लगेगी।

१४- पहनने के कपड़े, कोट, चादर कम्बल वग़ैरह, टोपी, जूते, घड़ी, घर का सामान, बिस्तर, पैन वग़ैरह पर ज़कात नहीं, चाहे यह चीज़ें कितनी ही क़ीमती हों।

१५- गधा, खच्चर और घोड़े वग़ैरह पर ज़कात नहीं है, बशर्ते कि यह तिजारत के लिए न हों।

१६- वक़्फ़ के जानवरों पर भी ज़कात नहीं है और जो घोड़े जिहाद के लिए पाले गये हों, और जो अस्लहे और सामान जिहाद और ख़िदमते दीन के लिए हों उन पर भी ज़कात नहीं।

ज़कात किसे दी जाए

क़ुर्आन में अल्लाह तआला ने सिर्फ़ ज़कात की अहमियत व अज़मत और ताकीद बयान फ़रमाई है बल्कि सराहत के साथ उस के मसारिफ़ भी बयान फ़रमा दिये हैं।

अल्लाह तआला फ़रमाता है-

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

अनुवाद-

"यह सद्क़ात तो सिर्फ़ फ़क़ीरों और मिस्कीनों के लिए हैं और उन लोगों के लिए हैं जो सद्क़ात के काम पर मामूर हों और उन के लिए जिन की तालीफ़े क़ल्ब मतलूब हो, और गर्दनों को छुड़ाने और क़र्ज़दारों की मदद करने के लिए हो, और ख़ुदा की राह में और मुसाफ़िर नवाज़ी में ख़र्च करने के लिए हो। यह फ़रीज़ा अल्लाह की तरफ़ से है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और इल्म व हिकमत वाला है।

ज़कात के आठ मसारिफ़

ऊपर की आयत में ज़कात के आठ मसारिफ़ बयान किये गये हैं-

१- फ़ुक़रा
२- मसाकीन
३- आमिलीने ज़कात

४- मुवल्लिफ़तुल्क़ुलूब

५- रिक़ाब

६- ग़ारमीन

७- फ़ी सबीलिल्लाह

८- इब्निस्सबील

ज़कात की रक़म इन आठ मदों में ख़र्च की जा सकती है, इन के सिवा किसी और मद में ख़र्च करना जायज़ नहीं।

हज़रत ज़ियाद बिन नौफ़ल हारिस अल् असअदी एक वाक़िया नक़्ल करते हैं कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की ख़िदमत में एक शख़्स हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि ज़कात के माल में से मुझे भी इनायत फ़रमाईये।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने उन से फ़रमाया-

"अल्लाह ने ज़कात के मसारिफ़ को न तो किसी नबी की मर्ज़ी पर छोड़ा है और न किसी ग़ैर नबी की, बल्कि ख़ुद ही इस का फ़ैसला फ़रमा दिया है और उस की आठ मदें मुक़र्रर फ़रमा दी हैं। तुम अगर उन मदों में से किसी मद में आते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर ज़कात की मद से दे दूँगा।"

इन मदों की तफ़्सील यह है-

१- फ़क़ीर-

फ़क़ीर से मुराद हर औरत और मर्द है जो अपनी गुज़र अवक़ात के लिए दूसरों की मद और तआवुन का मोहताज हो, इस में वह तमाम नादार, मोहताज, माज़ूर दाख़िल हैं जो मुस्तक़िल तौर पर या आरज़ी तौर पर माली तआवुन के मुस्तहिक़ हों, माज़ूर, अपाहिज, यतीम बच्चे, बेवायें, ज़ईफ़, बेरोज़गार और वह लोग जो नागहानी हादिसे का शिकार हो गये हों, ज़कात की मद से उन की वक़्ती इनायत जायज़ है और उन के मुस्तक़िल वज़ायफ़ मुक़र्रर किये जा सकते हैं।

२- मिस्कीन-

इस से मुराद ग़ुरबा हैं जो बेचारे निहायत ही ख़स्ताहाल हों, लेकिन अपनी इज़्ज़ते नफ़्स और शर्म की वजह से किसी के आगे दस्ते सवाल भी दराज़ न करना चाहते हों, अपनी रोज़ी कमाने के लिए वह हाथ पैर मारते हों लेकिन दौड़ धूप के बावजूद उन्हें ज़रुरत भर न मिलता हो, और लोगों पर अपना हाल खुलने न देते हों। हदीस में मिस्कीन की तशरीह यह है:-

الذی لا یجد غنی یغنیہ ولا یفطن لہ فیتصدق ولا یقوم فیسال الناس
(بخاری و مسلم)

"चूंकि अपनी ज़रुरत भर माल पाता है न (अपनी ख़ुद्दारी की वजह से) पहचाना जाता है कि लोग उस की माली मदद करें और न खड़े होकर लोगों से माँगता है।"

३- आमिलीने ज़कात-

इन से मुराद वह लोग हैं, जो ज़कात व उश्र की तहसील व हिफ़ाज़त, तक़सीम और उस के हिसाब किताब के ज़िम्मेदार हों वह साहिबे निसाब हों या न हों, हर हाल में उन की तन्ख़्वाहें ज़कात की मद से दी जा सकती हैं।

४- मुवल्लिफ़तुल्क़ुलूब-

इस से मुराद वह लोग हैं, जिन की तालीफ़े क़ल्ब मतलूब हो, इस्लाम और इस्लामी ममलिकत के मफ़ाद में उन को हमवार करना और मुख़ालिफ़त के जोश को ठंडा करना पेशे नज़र हो, यह काफ़िर भी हो सकते हैं और मुसलमान भी, जिन का इस्लाम उन को इस्लामी ममलिकत के मफ़ाद की ख़िदमत पर उभारने के लिए काफ़ी न हो।

यह लोग अगर साहिबे निसाब भी हों, तो उन को ज़कात दी जा सकती है। हन्फ़िया का मस्लक यह है कि इस्लाम के शुरु में इस तरह के लोगों की तालीफ़े क़ल्ब के लिए ज़कात में से दिया जाता था। लेकिन हज़रत उमर (रज़ि०) हज़रत

अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) के दौर में इस तरह के लोगों को ज़कात देने से मना कर दिया गया, और अब यह मद ख़त्म हो गई यही मस्लक इमाम मालिक का भी है। अल्बत्ता बाज़ दूसरे फ़ुक़्हा की राय यह है कि यह मद अब भी बाक़ी है और ह़स्बे ज़रूरत तालीफ़े क़ल्ब के लिए ज़कात का माल सर्फ़ किया जा सकता है।

५- ग़ुलाम को आज़ाद करना-

यानी जो ग़ुलाम अपने आक़ा से यह मुआ़हिदा कर चुका हो कि मैं तुम्हें इतनी रक़म अदा करुँगा तो तुम मुझे आज़ाद कर दो। ऐसे ग़ुलाम को मकातिब कहते हैं। मकातिब को आज़ादी की क़ीमत अदा करने के लिए ज़कात दी जा सकती है। आ़म ग़ुलामों को ज़कात की रक़म से ख़रीद कर आज़ाद करना जायज़ नहीं। अगर किसी ज़माने में ग़ुलाम मौजूद न हों तो यह मद ख़त्म हो जाएगी।

६- क़र्ज़दार-

ऐसे लोग जो क़र्ज़ के बोझ से दबे हुए हों, और अपनी ज़रुरियात से बचा कर क़र्ज़ अदा न कर पा रहे हों, चाहे बेरोज़गार हों या कमाने वाले और उन के पास इतना न हो कि अपना क़र्ज़ चुकाएँ तो उन के पास बक़द्रे निसाब बाक़ी रहे। और इस से वह लोग भी मुराद हैं जो किसी नागहानी ह़ादसे का शिकार हो गये हों, कोई तआ़वुन या ग़ैर मामूली जुर्माना देना पड़ा या कारोबार फ़ेल हो गया या कोई ह़ादसा पेश आया और असासा तबाह हो गया हो।

७- फ़ी सबीलिल्लाह-

इस से मुराद अल्लाह की राह में जिहाद है, जिहाद का लफ़्ज़ क़िताल के मुक़ाबले में आ़म है और 'फ़ी सबीलिल्लाह' में वह सारी कोशिशें शामिल हैं, जो मुजाहिदीन 'निज़ामे कुफ़्र' को मिटा कर 'निज़ामे इस्लामी' को क़ायम करने के लिए करें, चाहे वह क़लम व ज़बान से हों, या तलवार से या हाथ पाँव की मेह़नत और दौड़ धूप से, उस का दायरा तो इतना मह़दूद है कि उस से मुराद न केवल क़िताल

है और न इतना वसीअ़ है कि इस में रिफ़ाहे आ़म के सारे काम शामिल समझ लिए जायें।

जिहाद 'फ़ी सबीलिल्लाह' से वही कोशिशें मुराद ली गई हैं जो दीने ह़क़ को क़ायम करने, उस की इशाअ़त व तब्लीग़ करने और इस्लामी मम्लिकत की ह़िफ़ाज़त और दिफ़ा के लिए किये जायें। इस जद्दोजहद में जो लोग शरीक हों, उन के मसारिफ़े सफ़र, उन की सवारी, आलात व सरो सामान की फ़राहमी के लिए ज़कात की रक़म सर्फ़ की जा सकती है और इस से मुराद वह ज़ायरीने ह़रम हैं, जो ह़ज के इरादे से रवाना हों और रास्ते में किसी ह़ादसे का शिकार होकर माली तआ़वुन के मुहताज हों और वह तल्बा भी मुराद हैं जो दीन का इ़ल्म ह़ासिल करने में लगे हुए हों, और ह़ाजतमन्द भी हों।

८- इब्ने सबील, यानी मुसाफ़िर-

मुसाफ़िर चाहे अपने घर में ख़ुशह़ाल और दौलतमंद हो, लेकिन सफ़र की ह़ालत में अगर वह मदद का मुह़ताज हो तो ज़कात की मद से उस की मदद की जा सकती है।

मसारिफ़े ज़कात के मसायल

१- ज़रुरी नहीं कि ज़कात की रक़म उन सारे ही मसारिफ़ में तक़सीम की जाए। जो क़ुर्आने पाक में बयान किये गये हैं, बल्कि ह़स्बे ज़रुरत और मौक़ा जिन मसारिफ़ में जितना मुनासिब हो ख़र्च किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर ज़रुरत पड़ जाए तो किसी एक ही मसरफ़ में सारी ज़कात ख़र्च की जा सकती है।

२- ज़कात के जो मसारिफ़ हैं। यही मसारिफ़ उ़श्र और सद्क़-ए-फ़ित्र के भी हैं। अल्बत्ता नफ़्ली सद्क़ात में अख़्तियार है।

३- बनी हाशिम के लोग अगर ज़कात की वसूलयाबी तक़सीम व ह़िफ़ाज़त के काम पर मामूर किये जायें तो उन का मुआवज़ा ज़कात से देना जायज़ नहीं। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) ने अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान यानी बनी

हाशिम के लोगों पर ज़कात का माल ह़राम कर दिया है। अल्बत्ता बनी हाशिम के लोग मुआवज़ा लिए बग़ैर अगर यह ख़िदमत अन्जाम देना चाहें तो अन्जाम दे सकते हैं जैसा कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) ने ख़ुद सद्क़ात की तह़सील व तक़सीम का काम हमेशा मुआवज़ा लिए बग़ैर ही किया है।

४- आ़म ह़ालात में किसी बस्ती की ज़कात उसी बस्ती के ह़ाजतमंदों और नादारों पर ख़र्च करना चाहिए। यह मुनासिब नहीं है कि उस बस्ती के लोग मह़रूम रहें और ज़कात दूसरे मक़ामात पर भेज दी जाए। हाँ अगर दूसरे मक़ामात पर शदीद ज़रुरत हो, या दीनी मसलह़त का तक़ाज़ा हो, जैसे किसी मक़ाम पर ज़लूज़ला आ गया, क़ह़त पड़ गया, और कोई नागहानी मुसीबत आ गई या कोई तबाहकुन फ़साद हो गया या दूसरे मक़ामात पर कुछ दीनी इदारे हैं जो माली तआ़वुन के मुह़ताज हो या रिश्तेदार दूर रहते हैं तो इन सूरतों में दूसरे मक़ामात पर ज़कात भेजना जायज़ है, लेकिन यह ख़याल रहे कि अपनी बस्ती के ज़रूरतमन्द बिल्कुल मह़रूम न रह जायें।

वह लोग जिन को ज़कात देना जायज़ नहीं

इस क़िस्म के लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं, उन को ज़कात देने से ज़कात अदा न होगी।

१- माँ बाप को ऊपर तक-

यानी दादा, दादी, नाना, नानी और फिर उन के माँ बाप को ऊपर तक।

२- औलाद को नीचे तक-

यानी बेटा, बेटी, उन की औलाद, पोता, पोती, नवासी, नवासा, और फिर उनकी औलाद को नीचे तक।

३- अपनी बीवी को-

इन रिश्तेदारों को ज़कात देने के माना यह होते हैं कि गोया ज़कात के माल से अपनी ही ज़ात को नफ़ा या नुक़सान पहुँचाया। लेकिन इस के यह माने हरगिज़

नहीं हैं कि अपने माल से आदमी उन का तआ़वुन न करे, बल्कि शरीअ़त की ओर से उन की किफ़ालत और माली तआ़वुन हर मुसलमान पर लाज़िम है। इन चार रिश्तों के अ़लावा बाक़ी सारे रिश्तेदारों को ज़कात देना जायज़ है बल्कि बेहतर है और ज़्यादा अज्र व सवाब के बाइस है।

४- साह़िबे निसाब ख़ुशह़ाल आदमी को भी ज़कात देना जायज़ नहीं और न किसी फ़क़ीर और नादार को इतना देना जायज़ है कि वह साह़िबे निसाब हो जाए। हाँ अगर वह मक़रूज़ हो या बहुत से बच्चे हो तो ज़रुरत के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं।

५- ग़ैर मुस्लिम को भी ज़कात देना जायज़ नहीं।

६- बनी हाशिम की औलाद में तीन ख़ानदानों को ज़कात देना जायज़ नहीं।

* ह़ज़रत अ़ब्बास (रज़ि०) की औलाद को।
* ह़ारिस (रज़ि०) की औलाद को
* अबू तालिब (रज़ि०) की औलाद को।

सअ़दात यानी फ़ातिमा (रज़ि०) की औलाद और सअ़दात अ़लवी इस तीसरे ख़ानदान में दाख़िल हैं, क्योंकि वह ह़ज़रत अ़ली (रज़ि०) की औलाद हैं।

अल्बत्ता आज यह तह़क़ीक़ बहुत दुश्वार है कि कौन बनी हाशिम में से है, इसलिए बैतुलमाल से तो हर ह़ाजतमंद की मदद होनी चाहिए हाँ जिस को अपने हाश्मी होने का यक़ीन हो तो ज़कात न ले।

इमाम मालिक (रज़ि०) फ़रमाते हैं मुझे यह बात पहुँची है कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) ने फ़रमायाः-

“सद्क़े का माल आले मुह़म्मद (सल्ल०) के लिए जायज़ नहीं, इसलिए कि सद्क़ः लोगों का मैल होता है।”

मालदार को सदक़ः लेना-

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) का इर्शाद है कि-

“सद्क़ः मालदार आदमी के लिए जायज़ नहीं, सिवाए इन पाँच लोगों के।”

१- अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला।

२- सद्क़े की तह़सील वग़ैरह का काम करने वाला।
३- मक़रूज़।
४- या वह शख़्स जो अपनी दौलत से सद्क़े का माल ख़रीद ले।
५- वह शख़्स जिस का पड़ोसी मिस्कीन हो, फिर उस मिस्कीन को सद्क़ा मिले और वह मिस्कीन अपने दौलतमन्द पड़ोसी को बतौर हदिया पेश करे। **(मुवत्ता इमाम मालिक)**

ज़कात के कुछ अहम मसायल

१- किसी शख़्स पर आप की कुछ रक़म क़र्ज़ है, और उस के ह़ालात तंग हैं। अगर आप अपनी ज़कात में वह रक़म उस को माफ़ कर दें तो ज़कात अदा न होगी। अल्बत्ता क़र्ज़ के बक़द्र उस को ज़कात दे देने के बाद वही रक़म आप अपने क़र्ज़ में उस से वसूल कर लें तो ज़कात अदा हो जाएगी।
२- घर में काम काज करने वाले नौकर चाकर, ख़ादिम, मामा, दाई, वग़ैरह को ज़कात देना, दुरुस्त है। अल्बत्ता ख़िदमत के मुआवज़े और तन्ख़्वाह में उन को ज़कात देना जायज़ नहीं।
३- नादारों के कपड़े बनाने, सर्दी के मौसम में कम्बल लिहाफ़ बनवा देने और शादी वग़ैरह की ज़रुरियात इकट्ठा कर देने में ज़कात की रक़म ख़र्च की जा सकती है।
४- जिस ख़ातून ने किसी बच्चे को दूध पिलाया हो अगर वह नादार ह़ाजतमंद हो तो उस को ज़कात का पैसा दे सकती है, और वह बच्चा भी जवान होने के बाद दूध पिलाने वाली को ज़कात दे सकता है।
५- एक शख़्स को मुस्तह़िक़ समझ कर आप ने ज़कात दी फिर बाद में मालूम हुआ कि यह साह़िबे निसाब है या हाशमी सय्यद है या अन्धेरे में दिया और बाद में मालूम हुआ कि जिस को ज़कात दी है वह अपनी वालिदा या अपनी लड़की थी, या कोई रिश्तेदार ऐसा था, जिस को ज़कात देना जायज़ नहीं, तो इन तमाम सूरतों में ज़कात अदा हो जाएगी, दोबारा ज़कात देने की ज़रुरत

नहीं है, अल्बत्ता लेने वाले को मालूम हो कि मैं मुस्तह़िक़ नहीं हूँ तो न ले और अगर बाद में मालूम हो तो वापस कर दे।
६- आप ने किसी को ह़ाजतमंद समझ कर ज़कात दे दी। बाद में मालूम हुआ कि ग़ैर मुस्लिम शख़्स था, तो ज़कात अदा न हुई दोबारा अदा करनी होगी।
७- नोट, सिक्के, अमवाले तिजारत, जो चीज़ भी सोने या चाँदी के निसाब के बक़द्र हो जाए ज़कात वाजिब हो जाएगी। जैसे- किसी के पास कुछ नोट हैं, और कुछ मुख़्तलिफ़ सिक्के हैं और सब मिलाकर ६०००/- की रक़म साढ़े छत्तीस तोले चांदी की क़ीमत से ज़्यादा है।
८- किसी शख़्स को तोह़फ़ा में इनआ़म में कोई माल मिलाकर वह बक़द्रे निसाब है तो साल गुज़रने पर उस से ज़्यादा वसूल की जाएगी।
९- बैंकों में रखी हुई अमानतों पर ज़कात वाजिब है।
१०- एक शख़्स साल भर मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से सद्क़ा व ख़ैरात कर रहा है, लेकिन उस ने ज़कात की नियत नहीं की थी। साल गुज़रने पर वह इस ख़ैरात किये हुए माल को ज़कात में जोड़ नहीं सकता, इसलिए कि ज़कात निकालने के लिए ज़कात की नियत करना शर्त है।
११- ज़कात की रक़म मनीआर्डर के ज़रिए भेजी जा सकती है और ज़कात की मद से मनीआर्डर की फ़ीस अदा करना भी जायज़ है।